न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—230/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00016)

1. श्रीमती गीता पत्नि श्री किशनसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम मायापुर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. धन्ना पुत्र मान्दू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 तोफी बेवा धन्ना (नाम तर्क)
   1/2 प्रभु पुत्र धन्ना (फौत) जरिए वारिसानः—
   1/2/1 श्रीमती छोटी बेवा श्री प्रभू
   1/2/2 शंकर पुत्र श्री प्रभू
   1/2/3 गोपाल पुत्र श्री प्रभू
   1/2/4 मानसिंह पुत्र श्री प्रभू
   1/2/5 नानू पुत्र श्रह प्रभू (नाबालिगान जरिए संरक्षक
   1/2/6 जम्मा पुत्री श्री प्रभू (माता श्रीमती छोटी
   1/2/7 नानी पुत्री श्री प्रभू)
   समस्त जाति रावत, निवासी वार्ड संख्या 8 ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर।
   1/3 जगमाल पुत्र धन्ना
   1/4 अजमाल पुत्र धन्ना
   1/5 रतना पुत्र धन्ना
   1/6 सुखदेव पुत्र धन्ना
   1/7 हगांमी पुत्री धन्ना
   1/8 रतनी पुत्री धन्ना
2. छोटू पुत्र मांदू
3. सोहन पुत्र घीसा
   जाति रावत, निवासी ग्राम दांता (आखरी), तहसील व जिला अजमेर।
4. हालू पुत्र कालू (मृतक) जरिए वारिसान—:
   4/1 नानी बेवा हालू (फौत नाम तर्क)
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर।
5. श्रीमती पन्नी पत्नि श्री अणदा जाति रावत, निवासी ढालीपुरा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर। (नाम तर्क)
6. श्रीमती शांति पत्नि बालू
7. श्रीमती राधा पत्नि श्री आसू
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम खोडा तहसील व जिला अजमेर।
8. हरलाल पुत्र कामड़ जाति रावत, निवासी ग्राम दांता, तहसील व जिला अजमेर।
9. भूमि विकास बैंक शाखा अजमेर जरिए प्रबंधक, तहसील व जिला अजमेर।
10. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किशनगढ जरिए प्रबंधक, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रेस्पोडेंटस

Scanned with CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 17.02.2012 राजस्व वाद संख्या 08/2009 में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री, अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/2/1 से 1/2/7, 1/3 से 1/8, 2, 3, 6 से 10 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में प्रारित आदेश दिनांक 17.02.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने सहायक कलेक्टर (मु0), अजमेर के समक्ष एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित कथनों को स्वीकार किया एवं वादीया का वाद डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया तथा वाद डिक्री करने में पूर्ण सहमति जाहिर की तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 तथा 4 द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 8.11.2010 को प्रतिवादी संख्या 2 एवं उनके अभिभाषक भी उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दावे एवं इकवाली जवाब दावे के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की गई एवं वाद गवाहान बहस समाअत की जाकर अत्यंत सूक्ष्म निर्णय पारित करते हुए कि उक्त आराजीयात से संबंधित अन्य सह खातेदारान को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है। इस आधार पर वाद पत्र आदेश अंतर्गत अपील दिनांक 17.2.2012 को निरस्त कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/2/1 से 1/2/7, 1/3 से 1/8, 2, 3, 6 से 10 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वास्ते उद्घघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था अर्थात बंटवारा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 से ही वादीया/अपीलांट व्यथित थी, अतः उन्हें पक्षकार मुर्तिब किया

Scanned with CamScanner

गया था, शेष खातेदारान से अपीलांट कतई व्यथित नहीं थी। ऐसी स्थिति में शेष सह खातेदार कतई आवश्यक पक्षकार नहीं थे, जिनके विरूद्ध वादीया द्वारा कोई दादरसी भी नहीं चाही गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था एवं शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा न ही राज्य सरकार अथवा अन्य प्रतिवादी द्वारा ही सह खातेदारान को पक्षकार बनाने बाबत कोई एतराज ही प्रकट किया गया था। इतना ही नहीं आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के अनुसार आवश्यक पक्षकारान के अभाव में वाद पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता, क्यों कि आदेश 1 नियम 10(2) जा0दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अपने विवेक से आवश्यक पक्षकारों को वादपत्र में शामिल करने एवं अनावश्यक पक्षकारों को वाद–पत्र से हटाने का क्षेत्राधिकार रखते थे, लेकिन उनके द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है। वादीया/अपीलांट ने विवादित भूमि•जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व ऐजेन्सी स्वतः ही नामांतकरण तस्दीक करना चाहिए। लेकिन अपीलांट आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर एवं अशिक्षित होने के कारण नामांतकरण तस्दीक नहीं करवा सकी। इसी कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो प्रथम दृष्टया ही डिक्री योग्य था एवं प्रकरण के विवाद की मूल जड़ को समझते हुए वादीया को न्याय प्रदान करने हेतु वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाना चाहिए था। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। हाजा न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 15.1.2009 को वाद पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 6.2.2009 को पेश हुई वादी अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादीगण को जारी सम्मन प्राप्त हुए जो शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से उनके अभिभाषक व प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया व जवाब दावे हेतु समय चाहा गया। तहसीलदार अजमेर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 के सम्मन तामील अथवा अदम तामील प्राप्त हुए। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21.4.2009 नियत की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सम्मन तामील के कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में तत्पश्चात दिनांक 16.6.2009 नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित वादीया की तरफ से उनके अभिभाषक ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 9.7.2009 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27.11.2009 को पेश हुई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 एवं सरकार पैरोकार जवाब हेतु समय चाहने पर उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 5.1. 2010 को पेश हुई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी सख्या 1 व पैरोकार सरकार जवाब हेतु समय चाहा जवाब हेतु एक अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21.4.2010 में उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादी सख्या 1 व पैरोकार सरकार जवाब हेतु समय चाहने पर न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16.7.2010 को नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित प्रतिवादी सख्या 1 व पैरोकार सरकार जवाब हेतु अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक में नियत चलती रही। पत्रावली तत्पश्चात् दिनांक 26.09.2011 को नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित व जी0ए उपस्थित प्रतिवादी साक्ष्य का गवाह श्री सोहनसिंह उपस्थित जिन से वादी अभिभाषक ने जिरह पूर्ण की साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई। वास्ते बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 29.9.2011 को पेश हुई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात् पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17.2.2012 को नियत की जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया द्वारा उक्त आराजीयात सोहनसिंह से दिनांक 14. 7.2008 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है। जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1651 में पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 2008002505 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3596 के पृष्ठ संख्या 258 से 266 पर चस्पा किया गया। वादीया द्वारा सोहनसिंह से खसरा संख्या 401 का रकबा 9–11–00 का 1/4 हिस्सा, खसरा संख्या 402 का रकबा 4–8–00, खसरा संख्या 408 का रकबा 1–13–00 व खसरा संख्या 1685 का रकबा 1–18–00 का 1/2 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया। प्रार्थीया द्वारा जमाबंदी संव्रत 2042–45 प्रदर्श पी 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया ने उक्त भूमि का वर्णित हिस्सा प्रतिफल राशि अदा कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 के तहत दिनांक 16.6.2009 को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीया के समस्त कथनों को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद उद्घघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कहते हुए वाद को निरस्त किया गया कि उक्त आराजीयात के अन्य सह खातेदार है जिन्हें वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए वाद संधारण योग्य नहीं हैं। आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के अनुसार आवश्यक पक्षकारान के अभाव में वाद पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता क्यों कि आदेश 1 नियम 10(2) जा0दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अपने विवेक से आवश्यक पक्षकारों को वाद पत्र में शामिल करने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हटाने का क्षेत्राधिकार रखते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गुणावगुण के उक्त वाद का विशलेषण किए बिना वाद में तनकीयात कायम किए वाद को निरस्त किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हो तो पक्षकार बनाया जाकर वाद पत्र में जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए वाद का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/12/2024
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner